पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)

कार्यवाही विवरण

विद्यापरिषद् की 08 वीं (आपात) बैठक

दिनांक 01/06/2012

दिन – शुक्रवार

स्थान :– मुख्यालय बिलासपुर

विश्वविद्यालय विद्या परिषद की 8 वीं (आपात) बैठक का कार्यवाही विवरण

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ, बिलासपुर की विद्या परिषद् की 08 वी (आपात) बैठक कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 01/06/2012 को अपरान्ह 12:00 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय के कक्ष क्रमांक 10 में आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही –

1. **डॉ. ए. आर. चद्रांकर** – अध्यक्ष
   कुलपति
   पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
   छत्तीसगढ, बिलासपुर

2. **डॉ. मनीष श्रीवास्तव** – सदस्य
   सह–प्राध्यापक (अंग्रेजी विभाग)
   गुरू घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय
   बिलासपुर (छ.ग.)
   (कुलपति द्वारा अध्ययन मंडल के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत)

3. **डॉ सुरेश शुक्ला** – सदस्य
   इतिहास विभाग
   शास. स्नातकोत्तर कला एवं वाणिज्य महा. बिलासपुर (छ.ग.)
   (कुलपति द्वारा अध्ययन मंडल के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत)

4. **प्रो. एस के जाधव** – सदस्य
   विभागाध्यक्ष (बायोटेक्नालाजी)
   पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.)
   (विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा मनोनीत)

5. **श्री रमेश नैयर** – सदस्य
   संचालक
   छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी
   रायपुर (छ.ग.)

6. **डॉ. श्रीमती इन्दु अनंत** – सचिव
कुलसचिव
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ, बिलासपुर

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके –

1. **डॉ. (श्रीमती) विभा जोशी** – सदस्य
निदेशक
स्कूल ऑफ एजुकेशन
इंदिरा गांधी राष्टीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली
(कुलपति इग्नू द्वारा मनोनीत)

2. **डॉ. उमेश कुमार श्रीवास्तव** – सदस्य
विभागाध्यक्ष (गणित विभाग)
शास. स्वशासी कन्या महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)
(कुलपति द्वारा अध्ययन मंडल के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत)

3. **डॉ. टी. एल वर्मा** – सदस्य
प्राध्यापक
शासकीय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.)
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा मनोनीत)

4. **डॉ. अमित खासकलम** – सदस्य
व्याख्याता एवं विभागाध्यक्ष (सूचना प्रौद्योगिकी)
गुरू घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा मनोनीत)

बैठक प्रारंभ होने पर सर्वप्रथम तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कुलसचिव के द्वारा निम्न प्रस्ताव विचार हेतु रखे गये –

प्रस्ताव क्रं. 1 विद्या परिषद् की सातवीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

निर्णय – विद्या परिषद् के द्वारा सातवी बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 08 (अकादमिक वर्ष के निर्धारण के सबंध में) को पुर्नविचार के लिये आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लेते हुये शेष कार्यवृत्त का अनुमोदन किया।

प्रस्ताव क्रं. 2 पीजीडीसीए/डीसीए पाठयक्रम को निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं कर पाने वाले चार छात्रों के परीक्षा–परिणाम जारी किये जाने पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् प्रस्ताव पर विचार पश्चात् निर्णय लिया गया कि छात्र चूंकि परीक्षा में सम्मिलित हुये है अतः छात्रहित में चारों छात्रों का परीक्षा–परिणाम घोषित किया जावें। यह प्रकरण को भविष्य के लिये दृष्टांत न माना जावें।

प्रस्ताव क्रं. 3 सारागांव अध्ययन केन्द्र के छात्रों का अगस्त–2011 में सम्पन्न हुए परीक्षा का सत्रीय कार्य उत्तर पुस्तिकाओं के संबंध में सूचना ग्रहण करना।

निर्णय – विद्या परिषद् द्वारा सूचना ग्रहण की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि अध्ययन केन्द्र सारागांव में प्रवेशित सभी छात्रों को सत्रीय कार्य उत्तरपुस्तिकाओं को जमा करा उनका मूल्यांकन कराये।

प्रस्ताव क्रं. 4 अकादमिक कैलेण्डर 2012–13 के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा पश्चात् निर्णय लिया गया कि अकादमिक कैलेण्डर में निम्न संशोधन पश्चात् अनुमोदन किया गया –

1. बिन्दु क्रमांक 02 पर परामर्श कक्षाओं के आयोजन के स्थान पर "**परामर्श /संपर्क कक्षाओं का आयोजन**" लिखा जावें तथा इसकी संभावित तिथियॉ **01 नवंबर, 2012 से 31 दिसम्बर, 2012** लिखा जावें।

2. बिन्दु क्रमांक 03 में "**संपर्क कक्षाओं (एवं प्रायोगिक परीक्षाओं) का आयोजन**" के स्थान पर सिर्फ "**प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन**" लिखा जावें।

3. गतिविधि विवरण में "**पाठयसामग्री (Study Material) वितरण**" शामिल करते हुये इसकी संभावित तिथि **दिनांक 01 अक्टूबर, 2012 से 31 दिसम्बर, 2012** निर्धारित की जावें।

4. पीजीडीसीए, डीसीए, बी.लिब. पाठयक्रमों की पृथक से अकादमिक कैलेण्डर बना लिया जावें।

प्रस्ताव क्रं. 5 मार्च–अप्रैल, 2012 में घोषित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण छात्रों को उत्तरोत्तर अगले कक्षाओं में प्रवेश पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् द्वारा चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के सूचना क्रमांक 1145/प्रवेश/11 दिनांक 06/09/2011 के परिपालन में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठयक्रमों के ऐसे छात्र–छात्रायें जिन्होने उत्तरोत्तर वर्ष में प्रवेश हेतु किन्ही कारणों से ओवदन–पत्र जमा न किया हो, उन्हे 15 जून, 2012 तक प्रवेश देकर सत्रांत परीक्षा में सम्मिलित किया जावें, तथा जिन पाठयक्रमों के परीक्षा परिणाम घोषित नही हुये है उनके लिये अंकसूची जारी करने की तिथि से 15 दिवस के भीतर समय–सीमा निर्धारित की जाती है।

प्रस्ताव क्रं. 6 जुलाई–2012 में प्रस्तावित सत्रांत परीक्षाओं के परीक्षा केन्द्र निर्धारण पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि आवश्यकतानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु प्रस्तुत सूची में परिवर्तन कर सकते है।

प्रस्ताव क्रं. 7 मार्च–अप्रैल, 2012 में घोषित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम में एटीकेटी छात्रों को उत्तरोत्तर अगले कक्षाओं में प्रवेश तथा एटीकेटी वाले विषय पर पुनः परीक्षा फार्म भराने पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् द्वारा प्रस्ताव क्रमांक 05 में लिये गये निर्णय अनुसार ही कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया।

प्रस्ताव क्रं. 8 स्नातक/स्नातकोत्तर विषयों में वर्ष 2011–12 में प्रवेशित छात्रों को पाठय सामग्री वितरण पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् द्वारा सूचना ग्रहण कर निर्णय लिया गया कि छात्रों को मांग के अनुरूप पाठयसामग्री प्रदान की जावें। पाठ्यसामग्री से वंचित प्रवेशित छात्रों को पाठयसामग्री उपलब्ध कराई जावें। पाठयसामग्री छात्रों को प्राप्त होने का प्रमाणन अध्ययन केन्द्र/क्षेत्रीय केन्द्र प्रभारियों से करा ली जावें।

प्रस्ताव क्रं. 9 द्वि–वर्षीय पाठ्यक्रम बी.एड/डी.एड. की फीस वृद्वि में विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् द्वारा चर्चा उपरांत प्रस्ताव से असहमति व्यक्त करते हुये उपरोक्त प्रस्ताव आगामी अकादमिक सत्र में विचार हेतु रखे जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव क्रं. 10 डी.एड. की प्रथम चरण काउंसलिग पश्चात् रिक्त सीटों को भरे जाने हेतु पुनः काउंसलिग पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विद्या परिषद् के सम्मानीय सदस्य डॉ. मनीष श्रीवास्तव का सलाह था कि विश्वविद्यालय के एक वर्षीय/द्विवर्षीय/त्रि–वर्षीय पाठयक्रमों के Maximum duration की समीक्षा एक समिति बनाकर की जावें।

अंत में अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

Achandrakar

(डॉ. इन्दु अनंत)
कुलसचिव/सचिव

(डॉ. ए. आर. चन्द्राकर)
कुलपति/अध्यक्ष

क्रमांक 796/बैठक सेल/2012

दिनांक 02/06/2012

प्रतिलिपि –

1. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2. सम्मानीय सदस्यगण –

2.1 प्रो. विभा जोशी, निदेशक, स्कूल ऑफ एजुकेशन, इंदिरा गांधी राष्टीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली।

2.2 प्रो. एस के जाधव, विभागाध्यक्ष, बायोटेक्नालाजी, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर

2.3 डॉ. मनीष श्रीवास्तव, सह–प्राध्यापक (अंग्रेजी विभाग), गुरू घासीदास वि.वि. बिलासपुर

2.4 डॉ. उमेश कुमार श्रीवास्तव, (गणित विभाग) शास. स्वशासी कन्या महाविद्यालय बिलासपुर

2.5 डॉ. सुरेश शुक्ला, (इतिहास विभाग) शास. जमुना प्रसाद वर्मा स्नातकोत्तर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

2.6 डॉ. टी.एल. वर्मा, विभागाध्यक्ष, शास. छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.)।

2.7 डॉ. अमित खासकलम, व्याख्याता एवं विभागाध्यक्ष, (सूचना प्रौद्योगिकी) गुरू घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)।

2.8 श्री रमेश नैयर, संचालक, छ.ग.राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर (छ.ग.)।

2.9 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शास. विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.) की ओर कार्यवृत्त आपके अवलोकन एवं बहुमूल्य सम्मति हेतु प्रेषित है।

3. निज सचिव/निज सहायक, कुलपति/कुलसचिव को कुलपति/कुलसचिव के सूचनार्थ।
4. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. संबंधित विभागों –अकादमी–– को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कुलसचिव